राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827/2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

क्रमांक फा.8पी( )राइसेम/स्टोर/2017–18/382 दिनांकः 5-2-2018

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में मैस संचालन हेतु अधिकृत कैटर्स/फर्मों/एजेन्सियों से निर्धारित बोली प्रपत्र के माध्यम से मोहरबन्द बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जो निर्धारित दिनांक 19.02.2018 को दोपहर 01:00 बजे तक प्राप्त की जाकर उपस्थित बोलीदाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.सं.	सेवा का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि 2%	निविदा प्रपत्र राशि	बोली प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की दिनांक
1.	संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को मैस सम्बन्धी सुविधा नाश्ता, चाय, भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य	25 लाख	50 हजार	1000	19.02.2018 दोपहर 1:00 बजे तक	19.02.2018 सांय 3:00 बजे

उक्त निविदा विहित बिड प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी, बिड सूचना एवं प्रपत्र राज्य लोक उपापन पोर्टल (sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.ricem.org पर देखी जा सकती है, बिड प्रपत्र/टेण्डर फार्म कार्यालय समय में दिनांक 19.02.2018 को प्रातः 11:00 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

अतिरिक्त निदेशक

अतिरिक्त निदेशक
राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान
जयपुर

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

लिफाफा—1

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) छात्रावास मैस में भोजन व्यवस्था हेतु

:: तकनीकी निविदा प्रपत्र ::

मूल्य रू. 1000 / — (डाक द्वारा मंगवाने पर 1100 / — रूपये)

अमानत राशि रूपये : 50,000 / —

विड का अनुमानित मूल्य : 25 लाख रूपये

निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि : 19.02.2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक : 19.02.2018 अपरान्ह 03:00 बजे तक

1.	बोलीदाता का नाम	
2.	बोलीदाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर)	
3.	बोलीदाता का स्थाई पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर) साक्ष्य के लिए राशन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / पानी / टेलीफोन / बिजली के बिल की सत्यापित प्रति)	
4.	बोलीदाता को मैस की सेवायें उपलब्ध कराने का अनुभव (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें) विगत 3 वर्षो की	
5.	शाप एक्ट / उधोग विभाग / बिक्री विभाग में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र।	
6.	खाध विभाग / नगर निगम के नियमों के अन्तर्गत प्राप्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।	
7.	बोलीदाता / फर्म का पेन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
8.	बोलीदाता / फर्म का सर्विस टैक्स नम्बर / जीएसटी नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
9.	अन्य प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें)	
10.	बैंलेंश सीट, लाभ—हानि खाते (गत तीन वर्षो के वार्षिक लेखो की प्रतिलिपि)	
11.	गत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करें	
12.	गत दो वर्षो का बैंक का स्टेटमेंट (दिनांक 31.01.18 तक) संलग्न करें	
13.	निविदा प्रपत्र हेतु रसीद संख्या एवं दिनांक	रसीद संख्या .... दिनांक ....
14.	अमानत राशि रूपये 50,000 / — का विवरण	बैंक ड्राफ्ट / बैंक चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
15.	संलग्न शर्तों पर सहमति हाँ / नहीं (सहमति स्वरूप समिति द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करें।	हाँ अथवा नहीं

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

राइसेम छात्रावास की भोजन व्यवस्था हेतु निविदा व संविदा की शर्तें

सामान्य शर्तें :–

1. निविदाकार दो अलग–अलग सीलबन्द लिफाफों में तकनीकी निविदा व '' दर निविदा'' लिखकर प्रस्तुत करनी होगी। दोनों लिफाफे अलग–अलग बॉक्सों में डालने होगें। तकनीकी निविदा के साथ धरोहर राशि का बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट / नगद रसीद तथा इस तरह के व्यवसाय का दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र साक्ष्य स्वरूप देने होंगे। इसके अलावा फर्म को पिछले दो वर्ष का बैंक खाते का स्टेटमेंट भी देना होगा जिसमें प्रति वर्ष वार्षिक टर्न ओवर 20,00,000 / – रूपये से कम का नही होना चाहिए। तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी। फर्म का शॉप एक्ट / उद्योग विभाग / बिक्री कर विभाग में से किसी एक में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तकनीकी निविदादाताओं में सफल निविदादाताओं की ही निविदा खोली जावेगी। विभागीय क्रय समिति को तकनीकी निविदा की शर्तों में शिथिलता देने का पूर्ण अधिकार है।
2. निविदादाता को खाद्य विभाग / नगर निगम के नियमों के अन्तर्गत प्राप्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, निविदा प्रपत्र के साथ लगाना होगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
3. निविदाएं उन फर्मों द्वारा ही दी जानी चाहिए जो केटरिंग के व्यवसाय में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखते हो। दो वर्ष के अनुभव हेतु किसी सरकारी विभाग / सरकारी संस्थान / निजी प्रतिष्ठित संस्था में किये गये कार्य का संतोषजनक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में पैन / स्याही से ही भरे जाये। किसी भी प्रकार की कांट–छांट या ओवर राईटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदाखोलने वाली समिति ऐसी कांट–छांट / ओवर राईटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह निविदादाता को मान्य होगा।
5. फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता फर्म द्वारा संस्थान को लिखित मे दी जावेगी किन्तु परिवर्तन की स्थिति में भी संस्थान से हुए इस अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।
6. निविदादाता निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकर करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेगें कि निविदाकार ने सभी शर्तों को पढ लिया है एवं समझ लिया है। अतः निविदाकारों को चाहिये कि सभी शर्तों को पढकर समझ ले। यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में संस्थान के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते है।
7. निविदादाता द्वारा अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त संस्थान को मान्य नहीं होगी। निविदा शर्तो के विपरीत शर्त मान्य नहीं होगी तथा ऐसी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

8. यदि निविदादाता अपनी ओर से संविदा निरस्त करता है तो ऐसी स्थिति में यदि संस्थान को वैकल्पिक व्यवस्था करने में काई अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ेगी तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व अनुबन्धकर्ता/फर्म को होगा।

9. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष तक के लिए होगी। परस्पर सहमति एवं नियमानुसार अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।

10. अनुबंधकर्ता फर्म को दिया गया कांन्ट्रेक्ट वह किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगा अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगा।

11. संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा।

12. निविदा प्राप्त करते समय बोलीदाता को प्रतिभूति राशि(बयाना राशि) के रूप में 2 प्रतिशत राशि नकद अथवा निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम), जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि संस्थान द्वारा लौटा दी जावेगी।

13. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeit) निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा–

    1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात, किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को (Modify) उपान्तरित कर देता है।
    2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
    3. जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
    4. जब निर्धारित समय में कार्य प्रारंभ करने में विफल रहता है।

14. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 1000/– रू. नांन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रतिमा करना पड़ेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को सेवाओं के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि नकद/डी.डी द्वारा जमा करानी होगी।, जोकि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जायेगी। इस राशि पर संस्थान द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

15. प्रतिभूति राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण (Forfeit) किया जा सकता है :–

    (अ) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
    (ब) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से कार्य करने में विफल रहता है।

16. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टांपिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का स्टाम्प शुद्ध प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जावेगा।

17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की समस्त धारायें एवं नियम लागू होंगे।

18. फर्म को संस्थान के द्वारा देय भोजन का भुगतान पूर्ण संतुष्टि के बाद ही चैक द्वारा किया जावेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। संस्थान नियमानुसार पुनर्भरण योग्य भुगतान होने पर आवश्यक प्रमाणीकरण के पश्चात् बिल पारित किये जा सकेंगे। अन्यथा भुगतान प्रति व्यक्ति स्वयं के भुगतान हेतु फर्म राशि वसूली हेतु अपनी व्यवस्था अगल से सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक कार्यक्रम अनुसार योग्य बिल/वाउचर्स पाठ्यक्रम निदेशक से प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

विशेष शर्तें

19. यदि भोजन, चाय, नाश्ता आदि मैनू के अनुसार तथा अच्छी किस्म का नहीं पाया गया तो अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा प्रदायक को संस्थान की अपेक्षा के अनुरूप उचित समय के भीतर उसे बदलना होगा। इस हेतु प्रदायक को कोई अतिरिक्त मूल्य अथवा राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
20. किसी भी समय भोजन की व्यवस्था सुचारू व संतोषजनक रूप से न होने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य अनुबंध कर्ता फर्म के हर्जेखर्चे पर अन्य एजेन्सी/साधन से करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय संस्थान को वहन करना पड़ा तो वह राशि अनुबंधकर्ता फर्म से वसूली योग्य होगी।
21. अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा की जा रही भोजन व्यवस्था संस्थान की अपेक्षाओं के अनुरूप संतोषजनक न होने की स्थिति में संस्थान को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को 7 दिन का पूर्व नोटिस देकर के समाप्त कर दे।
22. संस्थान द्वारा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ही चैक द्वारा भुगतान किया जावेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
23. भोजन, चाय, व नाश्तें की किस्म में किसी भी प्रकार की कमी होने पर संस्थान को युक्तियुक्त कटौती करने का पूर्ण अधिकार होगा। कटौती के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
24. अनुबंधकर्ता द्वारा फर्म के ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी प्रशिक्षणार्थियों एवं संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शिष्ट व्यवहार करने के लिए बाध्य होंगे।
25. प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाने वाला नाश्ता एवं भोजन कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बताये गये मैनू के अनुसार ही तैयार किया जायेगा।
26. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समस्त अधिकार निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम), जयपुर को निर्णय लेने का अधिकार होगा।
27. अनुबंधकर्ता फर्म के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भोजन व्यवस्था के लिए लगाये गये कार्यकर्ताओं/वेटर्स की सूची मय सम्पूर्ण विवरण एवं नवीनतम फोटोग्राफ के 2 प्रतियों में इस संस्थान में अनुबंध करने के समय प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात समय–समय पर होने वाले परिवर्तन की सूचना संस्थान प्रशासन को इसी प्रकार के विवरण के साथ उपलब्ध कराते रहेंगे।
28. अनुबंधकर्ता फर्म के वेटर्स उचित वर्दी में रहेगें। उक्त वर्दी का व्यय अनुबंधकर्ता फर्म को ही वहन करना पड़ेगा।
29. अनुबंधकर्ता फर्म को सामान्यतया जब तक संस्थान द्वारा कोई विशेष आदेश न दिए जावे, चाय, नाश्ते व खाने की व्यवस्था संस्थान/हॉस्टल परिसर में करनी होगी। भोजन गर्म व ताजा होना आवश्यक है।
30. अनुसूची ''जी'' में अंकित नाश्ते व भोजन के सभी मैनू में से कोई भी मैनू किसी भी दिन किसी भी समय देने के लिए बाध्य होगा। उक्त संदर्भ में प्रतिदिन संस्थान द्वारा/पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा जो भी निर्देश कैटरर्स को दिए जावे वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा।
31. संस्थान द्वारा प्रशिक्षण की पूर्व सूचना कैटरर्स को दी जावेगी। तत्पश्चात कैटरर्स का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रशिक्षण की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व पाठ्यक्रम समन्वयक से व्यक्गित सम्पर्क कर संभावित संख्या ज्ञात करें। यद्यपि सहभागियों की सही संख्या प्रशिक्षण दिनांक को 11.30 बजे ही बतलाई जावेगी।
32. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित करना पडता है और इस कारण कोई सामग्री बनी हुई खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।

33. भोजन व्यवस्था में शेष बची सामग्री को किसी भी दशा में पुनः उपयोग में लिये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

34. दरें समस्त करयुक्त होनी चाहिए।

35. निश्चित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।

36. बोलिऐं बिना कोई कारण बताये रद्द की जा सकती है।

37. बोलीदाता को उक्त कार्य हेतु तर्कसंगत पर्याप्त कर्मचारी लगाने होंगे।

38. कार्य/सेवाओं का विवरण, विभागीय शर्तें किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

39. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

40. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।

41. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में बिड एवं अनुबन्ध की शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिए।

42. तकनीकी एंव वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/नकद तरीकों से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित है, द्वारा "राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान" के पक्ष में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) के रूप में समायोजित किया जावेगा।

43. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगीः–

(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए,	**2.5 %**
(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए,	**05 %**
(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए,	**7.5 %**
(घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए,	**10 %**

44. फर्म को पंजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा।

45. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

46. बिड्स अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष तक लिये मान्य होगी। आवश्यकता पडने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढाया जा सकेगा, एवं राइसेम प्रशासन को अनुबन्ध अवधि से पूर्व अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

47. बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, राइसेम को होगा।

48. राइसेम के राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 में दर्शाये गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।

49. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

50. बोली सक्षम बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी।

51. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।

52. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्य सभी संगत प्रावधान लागू होंगे।

हमने उक्त बिड्स शर्तें पूर्ण रूप से पढ ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

एस.आर प्रारूप – 11

बोलीदाताओं की घोषणा

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत का किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता के मय मोहर

<u>संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली सुविधाऐं निम्न प्रकार रहेगी</u>

I. नाश्ते, चाय व भोजन में काम आने वाली ''क्रॉकरी'' एवं ''पकाने के बर्तन'' आदि व्यवस्था संस्थान द्वारा की जायेगी एवं ईधन की व्यवस्था स्वयं अपनी लागत पर अनुबंधकर्ता फर्म को करनी होगी। कैटरर्स द्वारा खाना बनाने एवं खिलाने पिलाने के बर्तन व क्रॉकरी साफ सुथरे रहने चाहिए। कैटरर्स को प्रशिक्षणार्थियों को सुवयवस्थित तरीके से खिलाने पिलाने हेतु उचित वेटर्स की व्यवस्था करनी होगी।

II. संस्थान द्वारा खाना बनाने के लिए स्थान तथा खाना खाने के लिए कुर्सी टेबल आदि फर्नीचर उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त फर्नीचर को साफ सुथरा व नियत स्थान पर रखने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। उक्त फर्नीचर में किसी प्रकार की टूटफूट होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की रहेगी। हॉस्टल में कैन्टीन के स्थान का कैटरर्स को वाणिज्यिक उपयोग करने अथवा सबलेट करने की अनुमति नहीं होगी। कैन्टीन में तैयार माल को बाहर बिक्री हेतु लाने व ले जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। कैटरर्स द्वारा चाय, नाश्ता व भोजन संस्थान में ही बनाया जावेगा। बाहर से बनाकर लाया गया भोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा। खाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अवलोकन संस्थान के अधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। अधिकारी खाने की किसी भी वस्तु/सामग्री की उचित जांच एवं परीक्षा करने/कराने के लिए सक्षम होगा। संस्थान के हॉस्टल में कैटरर्स का उपस्थित रहने का समय प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा। सामान्य परिस्थितियों में प्रशिक्षण अवधि में निम्न प्रकार से भोजन व्यवस्था करनी होगी।

1. सुबह की चाय/दूध	–	प्रातः 6.00–7.00 बजे हॉस्टल के कमरे में
2. नाश्ता	–	प्रातः 8–9 बजे हॉस्टल में
3. दूसरी चाय/कॉफी	–	प्रातः 11.30 बजे संस्थान में
4. दोपहर का भोजन	–	दोपहर 1.00बजे से 2.00 बजे तक हॉस्टल में
5. तीसरी चाय/कॉफी	–	सांय 3.30 बजे संस्थान में।
6. चौथी चाय	–	सांय 5.30 बजे से 6.30 बजे तक हॉस्टल में
7. रात्रि भोजन	–	रात्रि 8.00 बजे से 9.30 बजे हॉस्टल में।

उक्त समय प्रशिक्षण की साधारण व्यवस्था के अनुसार है परंतु समय में किसी भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार संबंधित प्रभारी अधिकारी/पाठ्यक्रम निदेशक को होगा

III. कैटरर्स को संभलाये गये स्थान एवं उस स्थान पर लगे हुए उपकरणों व बिजली उपकरणों को यदि किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उस पर हुआ व्यय कैटरर्स से वसूली योग्य होगा। अधिकतर तुरंत व्यवस्था हेतु कैटरर्स को टेलीफोन पर सूचित किया जावेगा। अतः कैटरर्स के यहां स्वयं का टेलीफोन/मोबाईल फोन होना अनिवार्य है।

IV. कैटरर्स द्वारा खाना बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री को रखने हेतु संस्थान द्वारा एक कमरा उपलब्ध कराया जावेगा, जिस पर कैटरर्स संस्थान की लिखित स्वीकृति के पश्चात् अपना ताला लगा सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त संस्थान द्वारा जब कभी भी एक, दो, अथवा संस्थान के हॉस्टल मे रह रहे मेहमानों की संख्या के अनुसार भोजन व्यवस्था हेतु आदेश दिया जावेगा तो कैटरर्स की इस हेतु निर्देशानुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी। संस्थान में जिन कैटरर्स का कार्य एवं भोजन व्यवस्था पूर्व के वर्षों में संतोषजनक नहीं रही है उन फर्मों की निविदायें बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है एवं इस संबंध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा। प्रशिक्षण काल के दौरान विशेष परिस्थितियों में सहभागी द्वारा यदि चाय, दूध की अतिरिक्त मांग की जाती है, तो उसे तत्काल उपलब्ध करा दिया जावेगा। उसके पश्चात् पाठ्यक्रम निदेशक से अनुमोदन करा लिया जावे। हॉस्टल के कमरों को किसी अन्य को देने की स्थिति में ठहरने वाले मेहमानों को डाइनिंग हॉल में खाने की व्यवस्था, संस्थान की अनुमति के बिना नहीं की जावे। इनके द्वारा डाइनिंग हॉल के उपयोग करने पर निर्धारित राशि के अतिरिक्त राशि जिसका निर्धारण संस्था द्वारा किया जाकर वसूला जावेगा एवं उक्त राशि संस्था में जमा करानी होगी। खाने में प्रयोग ली जाने वाली मौसमी सब्जी व दालों का मैनू भी ठेकेदार को समय–समय पर अनुमोदन कराना होगा। सब्जी की ग्रेवी भी दोपहर व रात्रि भोजन की अलग–अलग होनी चाहिए। भोजन व्यवस्था में शेष बची सामग्री को किसी भी दशा में उपयोग में लिए जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। संस्थान के भोजन की गुणवत्ता की जांच खाद्य विभाग/नगर निगम/प्रतिनिधि एजेन्सी से भी करवाये जाने का अधिकार होगा। मिलावट/खराबी पाये जाने पर संबंधित एजेंसी आपके विरूद्ध कार्यवाही करेगी एवं संस्था भी उसमें पूर्व सहयोग करेगी। संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को चाय/कॉफी मांगने पर देय होगी। जिसके लिए प्रतिदिन कैटरर्स का व्यक्ति कैन्टीन में उपलब्ध रहेगा। सर्विस टैक्स के नंबर व जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही टैक्स देय होगा।

उक्त कार्य से संबंधित समस्त वैधानिक एवं कानूनी दायित्व संबंधित निविदादाता का रहेगा। संस्था उक्त कार्य के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं रहेगी।

मैंने/हमनें उपरोक्त शर्ते अच्छी तरह पढ़ ली है तथा मैं इसकी पालना करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर
व नाम तथा फर्म का नाम व पता

RICEM

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

लिफाफा—2

भोजन व्यवस्था के सबंध में संस्थान की दरों का विवरण

(वित्तीय निविदा)

अनुसूचि ''जी''

क्र.सं.	मेन्यू का नाम	विवरण	राशि (रू.) निविदाता द्वारा भरे जाने हेतु
01.	चाय	i. चाय	
		ii. कॉफी	
		iii. टमाटर / वेजिटेबल सूप	
02.	नाश्ता (ब्रेकफास्ट)	i. मौसमी फल (एक नग), पोहा / इडली सांभर / आलू पराठा दही के साथ (2 नग) / ब्रेड पकोडा / अंकुरित मूंग / दलिया (कोई भी एक), दूध 200 ग्राम, ब्रैड—4 पीस बटर 15 ग्राम	
		ii. मौसमी फल (एक नग), जलेबी 100 ग्राम या खमण 100 ग्राम, दूध 200 ग्राम ब्रैड—4 पीस बटर 15 ग्राम	
		iii. चाय / कॉफी, समोसा / कचौरी(एक नग), मिठाई(एक नग), मौसमी फल (एक नग) वेफर्स / बिस्किट	
		iv. चाय / कॉफी, समोसा / कचौरी(एक नग), वेफर्स / बिस्किट	
		v. चाय / कॉफी, बिस्किट 4 पीस	
03.	भोजन	i. एक मौसमी सब्जी, एक दाल / राजमा / छोला / कढ़ी, रोटी(सादी / तन्दूरी / तवा), चावल, रायता / दही, एक नग मिठाई, सलाद, अचार, पापड (एक), सौंफ व शक्कर	
		ii. दौ मौसमी सब्जी (एक सूखी व एक तरीयुक्त), रोटी(सादा / तन्दूरी / मिस्सी / तवा), चावल, रायता / दही, मिठाई एक नग, सलाद, अचार, पापड (एक), सौंफ व शक्कर	
		iii. एक मौसमी सब्जी (सूखी), पनीर (पालक / मटर / शाही / बटर मशाला / पसंद), रोटी (सादा / तन्दूरी / मिस्सी / तवा), चावल, रायता / दही, मिठाई एक नग, सलाद, अचार, पापड (एक), सौंफ व शक्कर	
		iv. सूप (टमाटर / वेजिटेबल), एक मौसमी सब्जी (सूखी), एक दाल / राजमा / छोला, रोटी (सादा, तन्दूरी, मिस्सी, तवा), चावल, रायता / दही, मिठाई एक नग, सलाद, अचार, पापड (एक), सौंफ व शक्कर	
		v. बाटी दो तरह की (मसाला, सादा), चूरमा दो तरह का (गेहूँ, बेसन), दाल, बेसन गट्टा / कढ़ी, चावल, सलाद, अचार, पापड (एक), सौंफ व शक्कर	
		vi. पैक्ड लंच, 10 पुडी, सब्जी दो तरह की, अचार, पुलाव, दही व एक मिठाई सम्मिलित हो।	
		कुल योग	

नोट : (क)

1. सभी प्रकार के मीनू में चावल बासमती, रिफाइण्ड तेल, आटा, मसाले एवं अन्य भोजन सामग्री आईएसआई / एगमार्क के ही प्रयोग में लिये जावेंगे। रोटी / चपाती देशी घी में चुपडी हुई दी जावे। भोजन के पश्चात सौंफ / मिश्री उपलब्ध करानी होगी।
2. भोजन हेतु आईएसआई मार्क / एगमार्क का आटा काम में लिया जाना होगा। यथा—लक्ष्मीभोग, फोरचून, आशीर्वाद, श्री आदि अथवा समकक्ष स्तर।
3. चपाती हेतु देसी घी का प्रयोग किया जावेगा। यथा— सरस, मिल्कफुड, अमूल अथवा समकक्ष स्तर।
4. भोजन हेतु तेल एगमार्क / आईएसआई मार्क रिफाइंड यथा— फोरचून, चम्बल आदि।
5. भोजन के साथ मिठाई का पीस 50—60 ग्राम का होना आवश्यक होगा।
6. सब्जी ताजा व अच्छी किस्म की, पनीर ताजा प्रयोग किया जावे।
7. दूध, दही ताजा एवं प्रतिष्ठित डेयरी के प्रयुक्त करने होगें।
8. मसाले उत्तम किस्म के, एगमार्क हो उपयोग में लाने होंगे।
9. अन्य सामग्री भी अच्छी गुणवत्ता की उपयोग में लानी होगी।

(ख)

1. निर्णय कुल दर के आधार पर लिया जावेगा।
2. भुगतान प्रति उपयोग (यथा चाय अथवा लंच अथवा डिनर अथवा ब्रेकफास्ट, जो भी स्थिति हो) के हिसाब से किया जावेगा।
3. एक समय में एक ही मेन्यू का खाना उपलब्ध करवाना होगा।

4. बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ। कि :–

1. यह कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यावसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
2. यह कि मैं/ हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से काई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षरा अंकित कर दिये हैं।
6. यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम...

पद...

पता...

....

मो0नं0...